

**न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज  
स्वत्व वाद सं०-३१६/२०१४**

चम्पा कुअँर एवं अन्य.....वादिनीगण  
बनाम  
जितेन्द्र पटेल एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>DATE</u>	<u>ORDER</u>	<u>REMARKS</u>
<b>17.10.2022</b>	<p>उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादिनीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 20.12.2017 के आदेश हेतु नियत है। वादिनीगण की ओर से दिनांक 20.12.2017 को आदेश 39 नियम 1 एवं 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है।</p> <p align="center"><b><u>आदेश (ORDER)</u></b></p> <p>वादिनीगण के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 20.12.2017 में कहा गया है कि वादीगण द्वारा विषयगत मद न०-०३ वाली भूमि पर अपनी हकियत व दखल कब्जा की घोषणा करते हुए वादीगण अपनी विषयगत मद न०-०३ वाली भूमि पर किसी प्रकार के अतिक्रमण अवैध कब्जा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए रोक देने के लिए यह वाद लाया है। विषयगत भूमि मौजा सुगोली में खाता 113 खेसरा 173 रकबा 5 कट्ठा 15 धुर भूमि अवस्थित है तथा वादीगण का दखल कब्जा है। वादीगण महिला है जिसके कारण प्रतिवादी वादीगण के विषयगत मद न०-०३ वाली भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए बराबर प्रयासरत है। प्रतिवादी द्वारा विषयगत भूमि बिक्री करने हेतु लोगों से बातचीत कर रहे है। अगर प्रतिवादी द्वारा विषयगत भूमि की बिक्री कर दिया जाता है तो वाद की बहुलता उत्पन्न हो जायेगी। प्रतिवादी अगर विषयगत भूमि बिक्री कर देते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई रूपयों से नहीं किया जा सकता है। सुविधा की तुला वादीगण के पक्ष में है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के माध्यम से विषयगत मद न०-०३ वाली भूमि को प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार के हस्तांतरण करने से वाद के निष्तारण तक रोकने की कृपा करें।</p> <p>दिनांक 20.03.2018 को प्रतिवादी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें प्रतिवादी द्वारा वादिनी का निषेधाज्ञा आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टि से खारिज होने योग्य बताया है। प्रतिवादी का कहना है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है। प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि बिक्री करने की कोई तैयारी नहीं कर रहा है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के उपयोग में है। प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है। विवादित भूमि फुलचन्द्र राउत की है। फुलचन्द्र राउत को चार पुत्री थी। जिनमें से एक का नाम समराजों देवी था। जिसकी शादी रामप्रसाद राउत उर्फ प्रसाद राउत के साथ हुआ था तथा प्रसाद राउत प्रतिवादी का नाना था। फुलचन्द्र राउत ने मौजा सुगोली खाता 113 खेसरा 173 रकबा 11 कट्ठा 10 धुर भूमि वर्ष 1937 में रामदतलाल को बिक्री कर दिया था तथा दिनांक 16.03.1962 को रामदतलाल ने विक्रय विलेख 1111 प्रसाद राउत के पक्ष में</p>	

**न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज**  
**स्वत्व वाद सं0-316/2014**

<b>लगातार</b> <b>17.10.2022</b>	<p>लिखा था तथा प्रसाद राउत ने उस पर पूर्ण स्वत्व एवं दखल कब्जा प्राप्त किया। प्रसाद राउत ने दिनांक 10.07.1995 को 8 कट्ठा भूमि खाता 113 खेसरा 173 प्रतिवादी को बक्खशीशनामा द्वारा दिया तथा उसी आधार पर प्रतिवादी की जमाबंदी न0-536 कायम हुई। बाकी बची हुई जमीन फुलचन्द्र राउत के वारिसानों को उतराधिकार में प्राप्त हुई। फुलचन्द्र राउत के द्वारा कभी भी कोई भूमि प्रसाद राउत और सीताराम राउत को नहीं बेचा गया। वादी के द्वारा वर्ष 1984 का विलेख झुठा व बनावटी है। वादीगणों के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद तथा सुविधा का संतुलन प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण का आवेदन खारिज होने योग्य है।</p> <p>उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद वादिनीगण के द्वारा प्रतिवादीगणों के विरुद्ध वादपत्र की मद न0-03 में दर्शित भूमि पर स्वत्व एवं अधिकार घोषित कराने तथा स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से प्रतिवादीगणों को किसी प्रकार के हस्तक्षेप, अवैध अतिक्रमण, गसबन, अवैध हस्तांतरण करने से हमेशा हमेशा के लिए रोकने तथा प्रतिवादी सं0-01 द्वारा प्रतिवादी सं0-02 के नाम निष्पादित बयनामा दस्तावेज सं0-3105 दिनांक 29.03.2019 को जाली गैरकानूनी एवं अवैध घोषित करते हुए रद्द किये जाने हेतु लाया है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया वाद किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है एवं यदि आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है तो इससे आवेदक को अपूर्णाय क्षति होगी अथवा नहीं तथा पक्षकारों का आचरण कैसा है ?</p> <p>वादिनीगण का कहना है कि फुलचन्द्र राउत ने खाता न0-113 का 15 कट्ठा 14 धुर जमीन एक हजार रुपया तय करके रामप्रसाद राउत एवं सीताराम राउत के हाथों दिनांक 22.07.1948 को निबंधित बयनामा दस्तावेज द्वारा बेच दिया गया तथा दोनों को दखल कब्जा भी दे दिया गया। दोनों को दखल कब्जों को देखते हुए दोनों के नाम से दाखिल खारिज हुआ तथा जमाबंदी कायम हुआ। बाद में दोनों भाईयों में बंटवारा हुआ तो खरीदगी जमीन आधा आधा बांट लिया तथा बंटवारा के मुताबित दोनों भाई अपने अपने हिस्से में मिली जमीन के जोत आबाद के दखल कब्जे में चले आये। रामप्रसाद राउत ने खेसरा 273 का 16 धुर तथा खेसरा 353 का 1 कट्ठा 6 धुर जमीन सीताराम राउत को कमशः दिनांक 14.12.1985 तथा 25.04.1973 को बिक्री कर दिया तथा दखल कब्जा दे दिया। सीताराम राउत के मरने के बाद उसके वारिसान भी उक्त जमीन का जोत आबाद करते रहे। सीताराम राउत के मरने के बाद प्रतिवादीगण विवादित जमीन पर झंझट करने लगे तथा कहने लगे कि जमीन प्रतिवादीगण के नाना ने प्रतिवादीगण को दिया है। वादिनीगण के द्वारा विवादित भूमि पर अपना दखल कब्जा बताया गया है जबकि प्रतिवादीगणों के द्वारा भी विवादित भूमि पर अपना दखल कब्जा दिखाया गया है तथा विवादित भूमि बक्खशीशनामा से प्राप्त होना बताया है। दोनों पक्ष विवादित भूमि पर अपना अपना दखल कब्जा बताये है। अतः प्रथम दृष्टया वाद किस ओर है यह निर्धारित नहीं किया जा सकता</p>	
------------------------------------	--	--

**न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज**  
**स्वत्व वाद सं०-३१६/२०१४**

लगातार  
17.10.2022

है। वादिनीगण के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं दिया गया है जिससे प्रतिवादीगण जमीन बिक्री हेतु तत्पर दिखायी देते हो। अतः सुविधा का संतुलन भी वादिनीगण के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अतः वादिनीगण का आवेदन दिनांक 20.12.2017 को खारिज किया जाता है।

उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नहीं करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन में न्यायालय का सहयोग करेंगे।

वाद दिनांक 24.11.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, प्रथम  
नरकटियागंज